न्यायालय अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. धनवन्ती शर्मा पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी हाउस नं. 284 ए, डब्लू एच ओ कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, जयपुर हाल निवासी डी–603, स्कीन टॉवर अपोजिट स्टार बाजार सेटेलाईट, अहमदाबाद ।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
2. श्रीमती रश्मी शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा
3. सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा

निवासी हाउस नं. 284 ए, डब्लू एच ओ कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक दिनांक 12.09.2022 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 51/2022 व उनवानी धनवन्ती शर्मा बनाम सुरेश शर्मा व अन्य।

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।
3. प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 27.12.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 51/2022 व उनवानी धनवन्ती शर्मा बनाम सुरेश शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अपीलार्थी प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष कतिपय परिस्थितियों में सम्पत्ति के कब्जे के अन्तरण को शुन्य घोषित करवाने हेतु परिवाद अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण ओर कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया गया था। अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण हेतु जो संविधान के अधीन प्रत्याभूत और मान्य है और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक मामलों हेतु अधिक प्रभावी प्रावधानों हेतु उपबंध करते हुए दिनांक 19.12.2007 को लागू किया गया था । अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के लागू होने के पश्चात वर्ष 2010 में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपने घर में रहने की इजाजत दी थी एवं अपने स्वामित्व की सम्पत्ति वादग्रस्त सम्पत्ति के कब्जे का अन्तरण इन शर्तो पर किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थी को बुनियादी एवं भौतिक सुविधायें प्रदान करेंगे लेकिन कब्जे की प्राप्ति के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के कारण तथा उनके द्वारा किये गये गलत व्यवहारों से परेशान होकर अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत वर्तमान मूल परिवाद पेश कर अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2010 में किये गये अपने स्वामित्व की सम्पत्ति के कब्जे के अन्तरण को शून्य घोषित करने के लिए धारा 23 के तहत प्रार्थना की गई थी। जिस पर दिनांक 12.09.2022 को आदेश पारित किया गया कि " अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय दस्तावेजात गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन एवं मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में हम यह पाते है कि प्रार्थिया ने विद्याधर नगर स्थित जिस विवादग्रस्त मकान के 2010 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हुए अन्तरण के संबंध में उल्लेख किया उस अन्तरण से सबंधित कोई दस्तावेज इस पत्रावली में पेश नही किये गये इससे अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अन्तर्गत मूलभूत सुविधा प्रार्थिया को नहीं देने के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किये गये अन्तरण को शून्य किये जाने संबंधी कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया के विद्याधर नगर स्थित विवादग्रस्त मकान पर आकर रहने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की इससे प्रार्थिया विद्याधर नगर स्थित मकान में अपना जीवन यापन करने हेतु स्तंत्र है। चूंकि प्रार्थिया अपने स्वर्गीय पति जो कि आर्मी से कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए थे, की पेंशन की उत्तराधिकारी है एवं पेंशन प्राप्त कर रही है। इसलिए अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 एवं 5 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से भरण पोषण राशि दिया जाना अपेक्षित ही नहीं समझते है। तथा प्रार्थिया द्वारा भरण पोषण राशि के संबंध में कोई अनुतोष भी नहीं चाहा है। प्रार्थिया विद्याधर नगर स्थित अपने मकान में रहने के लिए स्वतंत्र है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थिया के विद्याधार नगर पर स्थित मकान में रहने व उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधकारित नहीं करेंगे, ना ही प्रार्थिया के साथ किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक उत्पीडन एवं गाली गलौच करें। प्रार्थिया को अपने स्वर्गीय पति द्वारा उत्तराधिकार में दी गई वस्तुओं के उपयोग एवं उपयोग में कोई व्यवधान कारित नहीं करेंगे। " अधीनस्थ अधिकरण ने धारा 23 का गलत इन्टरपिटीशन करते हुये अपीलार्थी के द्वारा चाहे गये कब्जे के अन्तरण को शून्य घोषित करने व कब्जा पुनः दिलवाया जाने की प्रार्थना नही सुने जाने के कारण धारा 16 के तहत यह यह अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 23 मे वर्णित है कि–अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा। (1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यक्ताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है वहां सम्पत्ति का इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीडन द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जायेगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। " यहां यह उल्लेखित करना अवश्यक है कि यहां अधिनियम में अभिवर्णित अन्तरण शब्द से तात्पर्य केवल सम्पत्ति के पूर्ण अन्तरण से नहीं है, अपितु यहां अन्तरण शब्द में कब्जे का अन्तरण भी सम्मलित है । धारा 23 से संबंधित न्यायिक दृष्टान्त एवं उक्त धारा में अभिवर्णित अन्तरण शब्द के अभिनिवर्चन से संबधित न्यायिक दृष्टान्त (1) Sandeep Gulati V/s Divisional Commissioer, Govt of NCT of Delhi and Ors. W.P. (C) 2761/2020, W.P. (C) 2795/2020 (2) Rakesh Soni and Ors V/s Premlata Soni and Ors. MANU/RH/1282/2019 Equivalent Citations-AIR 2020 Raj 27, 2020 Raj 27, 202 (1) HLR 72, 2020 (2) RLW 1522(Raj) (3) Deepak Kumar V/s Phoolwanti Dev and Ors. MANU/RH/1418/2018 Equivalent Citations- 2019 (201) AIC 395 Or (4) Lalita kanwar Khinchi V/s Sumer Singh Khinchi and Ors. MANU/RH/0582/2019 Equivalent Citations- 2020 (208) AIC 398, 2020(3) HLR320, 2019 (3) RLW 2061 (Raj) , 2019(3) WLN 14 (Raj) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान प्रकरण में अधिनस्थ अधिकरण द्वारा अन्तरण शब्द का जिस प्रकार इन्टरपिटीशन कर निर्णय दिनांक 12.09.2022 पारित किया गया है वह गलत है। अन्तरण से तात्पर्य केवल सम्पत्ति के पूर्ण अन्तरण से नही है, अपितु अन्तरण से सम्पत्ति के कब्जे का अन्तरण भी सम्मलित है जो लिखित मौखिक या अन्य किसी प्रकार से भी हो सकता है। पक्षकारों के अभिवचनों से यह निर्धारित है कि अपीलार्थी द्वारा अपने मकान के कब्जे का अन्तरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किया गया था एवं उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कब्जे के अन्तरण को शून्य घोषित कर कब्जा अपीलार्थी को दिलाया जाना चाहिये था जो उपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः आलौच्य आदेश दिनांक 12.09.2022 को अपास्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी के रजिस्टर्ड मकान नं॰ 264 ए, डब्लू एच ओ कालोनी अम्बाबाडी जयपुर के कब्जे का अन्तरण जो वर्ष 2010 में अपीलार्थी को कपटवश इस विश्वास में लेकर लिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थी को बुनियादी सुख सुविधा और भौतिक आवश्यकतायें प्रदान करेगें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को किये गये उक्त मकान के कब्जे का अन्तरण शून्य घोषित किया जा कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को उक्त मकान खाली करने का आदेश पारित फरमावें एवं खाली मकान का कब्जा अपीलार्थी को प्रदान किया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि मकान संख्या 264 ए डब्लू एच ओ कालोनी अम्बाबाडी जयपुर 10 लाख रूपये में खरीदा गया था। जिसमें अप्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राशि 8,50,000/–रूपये का भुगतान किया गया था शेष भुगतान परिवादिया द्वारा परिवादिया के पति एवं अप्रार्थी के पिता की बचत की जमा पूंजी से किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि 7.,50,000/–रूपये का भुगतान चैकों द्वारा किया गया था। अपीलार्थी के तीन पुत्र व एक पुत्री है। जिसमें बडे पुत्र सुरेन्द्र का वर्ष 2008 मे स्वर्गवास हो गया । सुरेन्द्र की पत्नी ने अपीलार्थी के विरूद्व दिल्ली में एक परिवाद अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 आई पी सी का प्रस्तुत किया था । अप्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की बहिन को वर्ष 2003 से 2013 तक केस की सुनवाई हेतु दिल्ली लेकर जाता रहा है। अपीलार्थी एवं अप्रार्थी–प्रत्यर्थी संख्या 1 के बडे भाई की पत्नी के मध्य सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे एवं बडे भाई के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पत्नी एवं बच्चे अलग रह रहे है। वर्ष 2007 में प्रत्यर्थी के छोटे भाई की शादी में प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 सम्मलित हुए थे एवं वर्ष 2008 में अप्रार्थी संख्या 1 की बहिन सुदेश शर्मा का विवाह जयपुर निवासी श्री गोविन्द शर्मा से हुआ। इस दौरान भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 विवाह में अन्य रिश्तेदारों के साथ सम्मलित हुये। वर्ष 2008 में प्रत्यर्थी संख्या 1 की नौकरी जैतपुरा में लग जाने के कारण प्रत्यर्थीगण विद्याधर नगर स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो गये । क्योंकि उस समय विवादित मकान में मात्र दो कमरे थे एवं प्रत्यर्थी के छोटे भाई की शादी के पश्चात सम्पूर्ण परिवार का एक साथ रहना सम्भव नहीं था। कुछ समय पश्चात ही प्रत्यर्थी एवं परिवादिया ने घर के नवीनीकरण का फैसला लिया। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त मकान के पेटे 8,50,000/– रूपये का भुगतान किया गया था। इसलिए प्रत्यर्थी व अपीलार्थी के मध्य यह तय हुआ कि मकान का नवीनीकरण कर, दो मंजिला बनाया जायेगा एवं अप्रार्थीगण प्रथम तल पर शिफ्ट होंगे एवं भू तल पर अपीलार्थी निवास करेगी । इस दौरान प्रत्यर्थी का छोटा भाई सुनील की पत्नी एंव अपीलार्थी के मध्य सम्बन्ध मधुर नहीं होने के कारण अपनी पत्नी के साथ अन्यत्र स्थान पर रहने चला गया एवं इस दौरान अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के साथ फ्लैट पर निवास करती। प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थी के मध्य सम्बन्ध मधुर रहे है एवं उक्त मकान के नवीनीकरण के कारण उक्त मकान में 4 बेडरूम, 4 बाथरूम, 2 ड्राईग रूम एवं 2 किचन एवं वर्ष 2010 में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने छोट भाई को मना कर संयुक्त परिवार की भावना से आवास 264 ए डब्लू एच ओ कॉलोनी आम्बाबाडी जयपुर में रहने का आग्रह किया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व छोटा भाई अपनी पत्नी सहित मकान संख्या 264 ए डब्लू एच ओ कालोनी अम्बाबाडी जयपुर में आकर प्रथम तल पर रहने लगे एवं प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी सहित भू तल पर निवास करने लगे। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य सम्बन्धों में कोई परेशानी नहीं थी। प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थी एक साथ मकान के एक पोर्शन में निवास करते थे। अपीलार्थी ने अपने उक्त कथन के संबंध में किसी रिश्तेदार का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी गम्भीर पेचिस और डेगू बुखार से पीड़ित थी। इस दौरान अपीलार्थी को चिकित्सा सलाह के अनुसार खाना दिया जाता एवं घर पर ही डाक्टर व नर्स के नियमित दौरे की व्यवस्था की गई। अपीलार्थी की भाभी प्रेम देवी को अप्रार्थी द्वारा गांव धारडू हरियाणा से बुलाया क्योंकि वह एक वृद्व विधवा महिला थी, जिनके कोई संतान नही थी। प्रत्यर्थी द्वारा सिर्फ अपनी मामी प्रेम कंवर को सेवा करने की भावना से बुलाया गया था। उक्त मकान प्रत्यर्थी ने अपने स्वयं की अर्जित आय से खरीदा था, किन्तु संयुक्त परिवार की भावना होने के कारण उक्त मकान की रजिस्ट्री अप्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी माता धनवन्तरी शर्मा के नाम करवाई इस दौरान प्रत्यर्थी को पता चला कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के भाई एवं बहिन द्वारा साजिश रच कर भिवानी स्थित मकान का बेचान कर दिया और उससे प्राप्त राशि को तीनों ने आपस में बांट लिया। प्रत्यर्थी को उसके हिस्से से वंचित रखा और प्रत्यर्थी के भोलेपन का फायदा उठा कर अप्रार्थी संख्या 1 से स्वामित्व के आफिस का 50 प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2016 में सुनील के नाम करवा दिया। अब अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पुत्र सुनील शर्मा एवं पुत्री सुदेश शर्मा विवादित मकान को बेचान करना चाहते है और प्रत्यर्थी को उसके परिवार सहित घार से निकालना चाहते है। अपने हितों की रक्षा हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माननीय जिला न्यायाधीश जयपुर महा नगर जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2019 को स्वीकार किया जाकर यथास्थिति

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

के आदेश दिये । उक्त वाद में अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी ने माना कि उक्त सम्पत्ति के लिए प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया था एवं रजिस्ट्री अपीलार्थी के नाम की गई थी। जिससे यह सम्पत्ति बेनामी सम्पति के अन्तर्गत आने से वाद चलने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.08.2021 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया। उक्त आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल प्रथम अपील 305/2021 प्रस्तुत की है जिसमे दिनांक 28.02.2022 को अप्रार्थी के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधित आदेश प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद से ही तय होने है। अपीलार्थी एवं उसकी पुत्री प्रत्यर्थीगण को दुर्भावना पूर्ण एवं खुद निजी स्वार्थ के लिए घर से निकालना चाहते है। उक्त मकान में अपीलार्थी के लिए रहवास के लिए आवश्यक सुविधा है। अपीलार्थी आज भी प्रत्यर्थीगण के साथ निवास कर सकती है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलधीन आदेश उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या दो के प्रतिनिधि ने भी प्रत्यर्थी संख्या एक की बहस का समर्थन करते हुये अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. अपीलार्थी ने स्वयं के नाम की सम्पत्ति मकान नम्बर 264 ए, डब्लू एच ओ कॉलोनी, अम्बबाडी, जयपुर से माता–पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। धारा 23 के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में अन्तरण शब्द में केवल सम्पत्ति के पूर्ण अन्तरण को ही नही माना है, अपितु अन्तरण में कब्जे के अन्तरण को भी माना है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माननीय उच्च न्यायालय से उक्त सम्पत्ति बाबत स्थगन जारी होना भी बताया है। इसलिए प्रत्यर्थीगण को सम्पत्ति से बेखदल किये जाने वाले बिन्दू पर उभय पक्ष को सुन कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं इस सम्बन्ध में जारी न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन करते हुये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का वर्तमान स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार नये सिरे से आदेश पारित किया जाना वाजिब समझते है। :फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उपरोक्त विवेचनानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **27.12.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर